माननीय जी. एस. सिंघवी और एस. एस. सुधालकर के समक्ष

मेसर्स विजय कुमार एंड कंपनी-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी., 1995 का 18432

29 फरवरी 1996

ब्याज अधिनियम, 1978-धारा 2,3 और 4-परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-धारा 78 और 79-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 34-पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914-धारा 34-हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970-नियम 35 और 36-ब्याज-लाइसेंस शुल्क के प्रति समायोजन-लाइसेंसधारक को नीलामी के समय लाइसेंस की शर्तों के पालन के लिए नकद प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता होती है-ऐसी नकद प्रतिभूति वास्तव में एक अग्रिम लाइसेंस शुल्क और शराब बेचने के लिए मूल्य का हिस्सा है-जमा की गई प्रतिभूति पर ब्याज और लाइसेंस शुल्क की अंतिम किस्त के खिलाफ समायोजन के लिए दावा असमर्थनीय है-लाइसेंसधारी परक्राम्य लिखत अधिनियम, ब्याज अधिनियम या इक्विटी के सिद्धांतों के तहत ब्याज का दावा नहीं कर सकता है- किश्तों के भुगतान में चूक पर ब्याज वसूलने के सरकार के अधिकार को लाइसेंसधारी द्वारा जमा किए गए धन पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार पर एक संगत दायित्व के अधिरोपण के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है-सरकार को केवल इसलिए अपने स्वयं के धन पर ब्याज का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे प्रतिभूति के रूप में वर्णित किया गया है-प्रतिभूति पर ब्याज का दावा करने वाला रिट खारिज होने योग्य है।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ताओं ने उन शर्तों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से काम किया और उसके बाद सरकारों ने उन्हें लाइसेंस प्रदान किया। इसलिए याचिकाकर्ता अनुलग्नक पी-1 में शामिल नियमों और शर्तों और लाइसेंस की शर्तों को यह तर्क देकर चुनौती नहीं दे सकते कि वे मनमाने या अनुचित हैं।

(पैरा 5)

आगे कहा गया कि वार्षिक लाइसेंस शुल्क के 16-2/3 प्रतिशत के बराबर राशि, हालांकि अधिनियम के साथ-साथ नियमों और अनुलग्नक पी-1 में प्रतिभूति के रूप में वर्णित है, वास्तव में यह उस व्यक्ति द्वारा देय मूल्य है जो शराब बेचने के लिए लाइसेंस चाहता है-देशी शराब और विदेशी शराब दोनों। सरकार के पास शराब का सौदा करने का विशेषाधिकार है और इसलिए, जो शराब बेचने का लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, उसे विशेषाधिकार की खरीद के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और ऐसे व्यक्ति के लिए बाद में यह दलील देने का अधिकार नहीं है कि अनुबंध की शर्तें मनमाना या अनुचित हैं।

(पैरा 6)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्चतम बोलीदाता को लाइसेंस शुल्क का एक हिस्सा अग्रिम रूप से जमा करने के लिए कहकर लाइसेंस प्रदान करने की विधि किसी अंतर्निहित दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और एक अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकते हैं कि राज्य ने लाइसेंस शुल्क के लिए अग्रिम के रूप में नकद प्रतिभूति की मांग करके मनमाने ढंग से कार्य किया है। हमारा यह भी विचारणीय मत है कि ऐसे संविदात्मक मामलों में जहां याचिकाकर्ताओं ने शराब के व्यापार के लिए सरकार का अधिकार खरीदा है, वे अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से किसी भी मनमानेपन की शिकायत करने के हकदार नहीं हैं और इस न्यायालय के लिए याचिकाकर्ताओं को अग्रिम रूप से शराब की कीमत का एक हिस्सा जमा करने के बोझ से राहत देने के लिए अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करने का कोई कारण नहीं है।

(पैरा 11)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी शर्त के अभाव में, याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकते कि वे 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि के हकदार हैं, केवल इसलिए कि सरकार उस दर पर ब्याज वसूलने की हकदार है जब वे किस्तों के भुगतान में चूक करते हैं। वास्तव में किश्तों के भुगतान में चूक के मामले में

याचिकाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता वाले प्रावधान के निगमन और याचिकाकर्ताओं को ब्याज के भुगतान के लिए इस तरह के प्रावधान के अभाव से पता चलता है कि सरकार ने याचिकाकर्ताओं को अपनी बोलियां देने से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अग्रिम लाइसेंस शुल्क की राशि पर उन्हें कोई ब्याज देय नहीं होगा, हालांकि उन्हें किश्तों को जमा करने में विफलता के मामले में ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

(पैरा 12)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि हम यह मान लें कि उनके द्वारा जमा की गई राशि कानून या अनुबंध द्वारा लगाए गए दायित्व के निष्पादन के लिए एक प्रतिभूति थी। हालांकि, वे यह दिखाने में विफल रहे हैं कि उनके द्वारा जमा की गई राशि को कानून या अनुबंध द्वारा लगाए गए दायित्व के प्रदर्शन के लिए प्रतिभूति के रूप में कैसे माना जा सकता है। यह राशि, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल उस कीमत का एक हिस्सा थी जिसे याचिकाकर्ताओं को शराब बेचने के अधिकार की खरीद के लिए भुगतान करने की आवश्यकता थी। यह लाइसेंस शुल्क के लिए एक अग्रिम भुगतान था जिसे वर्ष के अंत में समायोजित किया जाना था। इसलिए, न तो धारा 3 के तहत और न ही 1978 अधिनियम की धारा 4 के तहत, याचिकाकर्ता सरकार से ब्याज का दावा कर सकते हैं।

(पैरा 17)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सफल बोलीदाता द्वारा अग्रिम राशि के रूप में जमा की जाने वाली आवश्यक राशि लाइसेंस शुल्क की किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। अपने अनुभव से, सरकार ने महसूस किया है कि लाइसेंसधारी नीलामी और लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन करता है और सार्वजनिक राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, किस्तों के विनियामक भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही सार्वजनिक राजस्व को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने सफल बोलीदाता के लिए अग्रिम राशि जमा करना अनिवार्य कर दिया है। अनुलग्नक पी-1 के पैरा 6 में निहित ज़ब्ती खंड निर्धारित समय के भीतर किश्तों का भुगतान नहीं करने के लिए लाइसेंसधारियों द्वारा अपनाई गई अनैतिक प्रथाओं से सार्वजनिक राजस्व की रक्षा करने के लिए भी आवश्यक है। ऐसे मामले में, लाइसेंसधारी द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि का उपयोग सरकार द्वारा सार्वजनिक राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है। सटीक रूप से इस कारण से लाइसेंसधारी को सात दिनों के भीतर नकद प्रतिभूति की राशि की पूर्ति करनी होती है और ऐसा करने में लाइसेंसधारी की विफलता लाइसेंस को रद्द कर सकती है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अग्रिम राशि का भुगतान लाइसेंसधारियों द्वारा किसी कानूनी दायित्व या अनुबंध के हिस्से के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। इसलिए, वे किसी भी ब्याज का दावा नहीं कर सकते। किश्तों के भुगतान में चूक के मामले में लाइसेंसधारियों से ब्याज वसूलने के सरकार के अधिकार को लाइसेंसधारियों द्वारा जमा किए गए धन पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार पर संबंधित दायित्व के अधिरोपण के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

(पैरा 19)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जो धन अनुज्ञप्तिधारी नकद प्रतिभूति के रूप में सरकार के पास जमा करता है, वह वास्तव में सार्वजनिक राजस्व का एक हिस्सा है। यह उस कीमत का एक हिस्सा है जो एक लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सरकार को देता है। इसलिए, यह अत्यधिक विसंगत होगा यदि सरकार को उस राशि पर ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता होती है जो सरकार में निहित शराब बेचने के विशेषाधिकार की कीमत का एक हिस्सा है और जिसे लाइसेंसधारी सरकार से खरीदता है। हमारी सुविचारित राय में, सरकार को अपने स्वयं के धन पर ब्याज का भुगतान केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों या नीलामी की शर्तों के तहत प्रतिभूति के रूप में वर्णित किया गया है।

(पैरा 20)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया किः -

(i) याचिकाकर्ताओं को शराब का व्यापार या व्यवसाय करने का कोई कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है और सरकार के पास खुद या लाइसेंसधारी के माध्यम से शराब बेचने का विशेष विशेषाधिकार है;

(ii) याचिकाकर्ता, जिन्होंने नीलामी की शर्तों को स्वीकार कर लिया है और जिन्होंने नीलामी के नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से जानते हुए नकद प्रतिभूति (अग्रिम धन) के रूप में राशि जमा की है, उन्हें उन शर्तों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है;
(iii) प्रतिभूति के रूप में जमा की जाने वाली राशि वास्तव में उस कीमत का एक हिस्सा है जो याचिकाकर्ताओं को सरकार से शराब बेचने के अधिकार की खरीद के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है; और
(iv) याचिकाकर्ताओं द्वारा निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881, ब्याज अधिनियम, 1978 या सामान्य कानून या इक्विटी के प्रावधानों के तहत जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

(पैरा 21)

याचिकाकर्ता के वकील मोहन जैन

उत्तरदाताओं की ओर से हरियाणा के महाधिवक्ता एच. एल. सिब्बल, हरियाणा के उप महाधिवक्ता राजीव रैना के साथ

<u>निर्णय</u>

जी.एस. सिंघवी, न्यायमूर्ति

(1) ये याचिकाएं पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के देशी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब के लाइसेंसधारियों द्वारा लगभग समान प्रार्थना के साथ दायर की गई हैं, ताकि उत्तरदाताओं को उन्हें ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सके। उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति पर 12 प्रतिशत की दर और याचिकाकर्ताओं द्वारा देय लाइसेंस शुल्क की अंतिम किस्त के विरुद्ध ब्याज की राशि को समायोजित करने का निर्देश देने के लिए दायर की गई हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी याचिकाओं में की गई मुख्य प्रार्थना एक समान है, हम उन पर एक सामान्य आदेश द्वारा निर्णय ले रहे हैं।

(2) वर्ष 1995-96 के लिए देशी शराब की खुदरा दुकानों और विदेशी शराब की थोक और खुदरा दुकानों के लिए लाइसेंस की नीलामी के लिए पंजाब और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों द्वारा की गई घोषणा के जवाब में, याचिकाकर्ताओं अन्य प्रतिस्पर्धियों के साथ अपनी बोलियाँ दीं। उनकी बोलियाँ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार कर ली गईं। याचिकाकर्ताओं ने अपेक्षित लाइसेंस शुल्क जमा कर दिया और उन्हें देशी शराब की दुकानों के लिए एल-14 ए लाइसेंस और विदेशी शराब की दुकानों के लिए एल-2 लाइसेंस प्रदान किया गया। 1996 की सिविल रिट याचिका संख्या 150 और 1996 की 1849 के अलावा अन्य रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को हरियाणा के विभिन्न जिलों के लिए ये लाइसेंस दिए गए हैं। याचिकाकर्ता मै. सतपाल सुरिंदर सिंह एंड कंपनी (सीडब्ल्यूपी नंबर 150/1996) को चंडीगढ़ के लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता मै. सुरिंदर कुमार एंड कंपनी और दो अन्य (सीडब्ल्यूपी नंबर 1849/1996) को पटियाला जिले के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। प्रत्येक याचिकाकर्ता ने क्रमशः एल-14 ए और एल-2 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के माध्यम से देशी शराब और विदेशी शराब की दुकानों दोनों के लिए लाइसेंस शुल्क का 16-2/3% जमा किया। उदाहरण के लिए, यह कहा जा सकता है कि मेसर्स विजय कुमार एंड कंपनी ने एल-14 ए लाइसेंस के लिए 4,07,00.000 रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाई। इसने नीलामी के नियमों और शर्तों में प्रतिभूति के रूप में 88,18,400 रुपये की राशि जमा की। इसी तरह, इसने एल-2 लाइसेंस के लिए 2,60,56,226 रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाई। नीलामी के संदर्भ में 43,42,811 रुपये की राशि जमा की गई। सभी याचिकाकर्ताओं को

नीलामी और लाइसेंस की शर्तों के अनुसार प्रतिवादियों से देशी शराब के साथ-साथ विदेशी शराब भी प्राप्त हुई है। अब उन्होंने उत्तरदाताओं को नीलामी की शर्तों के अनुसार सरकारों के पास जमा की गई राशि पर ब्याज देने का निर्देश देने का आदेश मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने अपने दावे को इस आधार पर स्थापित किया है कि उन्हें महीने के 15 वें दिन के बाद किस्त के भुगतान में देरी के मामले में किस्त की पूरी राशि के लिए 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है, इसके अलावा दुकान बंद होने की धमकी और इसलिए, उन्हें लाइसेंस जारी करने से पहले उनके द्वारा जमा की गई राशि पर भी ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि एक बार जब सरकारों ने शराब बेचने का अधिकार उन्हें हस्तांतरित कर दिया है, तो प्रतिभूति राशि का उपयोग ब्याज के भुगतान के बिना सरकारों द्वारा नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने चुंगी आदि लगाने के लिए वन, खाद्य और आपूर्ति और स्थानीय निकाय विभागों द्वारा दिए गए निर्देशों पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि यदि अन्य अनुबंधों में जमा की गई प्रतिभूति पर ब्याज देय है, तो कोई कारण नहीं है कि सरकारें सिक्योरिटी के रूप में उनके द्वारा जमा की गई भारी रकम पर उन्हें ब्याज नहीं दे। याचिकाकर्ताओं द्वारा ब्याज अधिनियम, 1978, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 34 और सामान्य कानून सिद्धांतों के प्रावधानों पर भी भरोसा किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि सरकारें अपना पैसा बरकरार रखकर ब्याज कमा रही हैं और इसलिए, इक्विटी में भी, वे प्रतिभूति जमा पर ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं।

(3) सिविल रिट याचिका सं. 1995 का 18432, प्रत्यर्थियों ने इस आधार पर परमादेश की रिट की मांग करने के लिए याचिकाकर्ताओं के स्थान को चुनौती दी है कि एक अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, याचिकाकर्ता अनुबंध में शामिल शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते हैं या उसके द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का दावा नहीं कर सकते हैं। प्रत्यर्थियों ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि उसके पक्ष में नीलाम की गई शराब की दुकानों के संबंध में अग्रिम लाइसेंस शुल्क की प्रकृति में है और आबकारी नीति की शर्तों या नीलामी के नियमों और शर्तों के तहत कोई ब्याज देय नहीं है। उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि सरकार के लिए बोलीदाताओं को कारोबार शुरू होने से पहले पूरी लाइसेंस फीस का भुगतान करने के लिए कहना पूरी तरह से वैध होता क्योंकि सरकार हस्तांतरण से पहले की शर्त के रूप में एक विशेष शर्त को पूरा करने पर जोर दे सकती थी। शराब के कारोबार के अपने विशेष अधिकार के बारे में और सरकार के साथ अनुबंध करने के बाद, याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि उसके साथ भेदभाव किया गया है। उत्तरदाताओं ने आगे कहा है कि कुल बोली राशि ग्यारह किस्तों में वसूली योग्य है, जिसमें से लाइसेंसधारी को दिसंबर के महीने तक नौ किस्तों का भुगतान करना आवश्यक है और शेष 10 वीं और 11 वीं किश्तें आमतौर पर याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई प्रारंभिक राशि के विरुद्ध समायोज्य हैं। नीलामी के नियम और शर्तें ज़ब्ती खंड के अधीन हैं। उत्तरदाताओं ने सामान्य कानून या इक्विटी के सिद्धांत के साथ-साथ ब्याज अधिनियम, 1978 या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के आधार पर ब्याज दिए जाने

के याचिकाकर्ता के दावे पर गंभीरता से विवाद किया है। सरकारों की ओर से जवाब दाखिल किए गए पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी इसी तर्ज पर हैं। पंजाब सरकार ने दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली आवश्यक राशि पूरी तरह से प्रतिभूति नहीं है, बल्कि लाइसेंस शुल्क का एक हिस्सा है और यदि नीलामी की शर्तें याचिकाकर्ताओं को स्वीकार्य नहीं थीं, तो वे इसमें भाग न लेने के लिए स्वतंत्र थे। उत्तरदाताओं के अनुसार, नीलामी के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने और उन शर्तों के अनुसार बोली लगाने के बाद, याचिकाकर्ता अब यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें उनके द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।

(4) सभी विद्वान वकील इस बात से सहमत हैं कि पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 और उसके तहत बनाए गए नियम पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में लाइसेंस देने पर लागू होते हैं। हरियाणा विधानमंडल ने कुछ संशोधन किए थे और पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मामलों के संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा अलग नियम बनाए गए हैं। पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 34, अध्याय VI में आती है जो लाइसेंस, परमिट और पास से संबंधित है। यह अनुभाग लाइसेंस, परमिट और पास के नियम, शर्तों और फॉर्म और अवधि के लिए शुल्क से संबंधित है। इसकी उपधारा (2) 'प्रतिभूति' को संदर्भित करती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

“34. लाइसेंस, परमिट और पास के नियम, शर्तों और रूप और अवधि के लिए शुल्क:- (1) इस अधिनियम के तहत दिया गया प्रत्येक लाइसेंस, परमिट या पास दिया जाएगा:-
(ए) ऐसी फीस के भुगतान पर, यदि कोई हो,
(बी) ऐसे प्रतिबंधों के अधीन और ऐसी शर्तों पर,
(सी) ऐसे फॉर्म में और ऐसे विवरण युक्त,
(डी) ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि वित्तीय आयुक्त निर्देश दे सकते हैं।
(2) प्रतिभूति : इस अधिनियम के तहत लाइसेंस देने वाला कोई भी प्राधिकारी लाइसेंसधारक को अपने लाइसेंस की शर्तों के पालन के लिए ऐसी प्रतिभूति देने या प्रतिभूति के मद्देनजर ऐसी जमा राशि देने की आवश्यकता कर सकता है, जैसा कि ऐसा प्राधिकारी उचित समझे।"
पंजाब राज्य में शराब लाइसेंस पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 के तहत दिए जाते हैं, जबकि हरियाणा राज्य में, ये हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 द्वारा शासित होते हैं। ये नियम भी लगभग समरूप हैं और अधिकांश के रूप में मामले हरियाणा राज्य से संबंधित हैं, हम हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 में निहित प्रावधानों का संदर्भ देंगे, जिन्हें इसके बाद 1970 नियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा। इन नियमों का नियम 2 लाइसेंस की श्रेणियों और उन्हें देने और नवीनीकृत करने के लिए अधिकृत अधिकारियों को निर्दिष्ट करता है। एल-2 लाइसेंस केवल जनता के लिए विदेशी शराब की थोक और खुदरा बिक्री के लिए है। इसे नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा

प्रदान किया जाना है। कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी है और यह नवीकरणीय नहीं है। एल-14 लाइसेंस परिसर के अंदर और बाहर खपत के लिए देशी स्पिरिट की खुदरा बिक्री से संबंधित है। इसे नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा भी प्रदान किया जाना है। नीलामी के मामले में कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी हैं। निजी अनुबंध वित्तीय आयुक्त द्वारा दिया जा सकता है। यह लाइसेंस नवीकरणीय भी नहीं है. नियम 35 इन दोनों लाइसेंसों को नीलामी द्वारा निर्धारित शुल्क पर देने का अधिकार देता है। नियम 36 में लाइसेंस देने की प्रक्रिया शामिल है। इन मामलों के प्रयोजन के लिए, 1970 के नियम 35 और 36(1), (4), (5), (25), (26) और (27) को उद्धृत करना लाभदायक होगा:-

"35. नीलामी :- निम्नलिखित लाइसेंस नीलामी द्वारा निर्धारित शुल्क पर दिए जाते हैं। वित्तीय आयुक्त, हालांकि, निजी अनुबंध द्वारा लाइसेंस देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

एल.2, एल.14, एल.14-ए और एल.14-बी।

36. नीलामी द्वारा लाइसेंस देने की प्रक्रिया:-

(1) प्रत्येक वर्ष वार्षिक नीलामी से पहले उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा उत्पाद दुकानों की संख्या और स्थान में किए जाने वाले परिवर्तनों के अधीन, प्रत्येक समूह या विक्रेता के लिए न्यूनतम लाइसेंस शुल्क होगा। प्रत्येक विक्रेता से संबंधित अनुमानित बिक्री और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, उत्पाद शुल्क आयुक्त के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक समूह/विक्रेता के लिए निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस शुल्क की घोषणा नीलामी के समय की जाएगी। यदि कलेक्टर प्रस्ताव करता है किसी भी दुकान को बंद करने के लिए, उसे नीलामी से पहले, उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

बशर्ते कि यदि अदालत के आदेश, स्थानीय प्रतिरोध या किसी अन्य कारण से किसी दुकान को बंद करना पड़ता है, तो लाइसेंसधारी को समान नियमों और शर्तों पर कमांड क्षेत्र के भीतर एक और दुकान खोलने की स्वतंत्रता होगी। कमांड क्षेत्र में एक या अधिक दुकानें बंद करने से उसे लाइसेंस शुल्क में कोई छूट या कमी नहीं मिलेगी।

स्पष्टीकरण:- एक समूह में न्यूनतम तीन और अधिकतम दस विक्रेता शामिल होंगे।

(i) उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

बशर्ते कि किसी भी न्यायालय के आदेश, या गांव के निवासियों के प्रतिरोध या किसी अन्य पर्याप्त कारण के कारण किसी ग्रामीण दुकान के बंद होने की स्थिति में कारण, लाइसेंसधारी को बंद दुकान के कमांड क्षेत्र के भीतर आने वाली संबंधित ग्राम पंचायत की सहमति से किसी अन्य गांव में लाइसेंस को उन्हीं नियमों और शर्तों पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, जिन पर इसकी नीलामी की गई थी। ऐसा करने में उसकी विफलता की स्थिति में, एक नया विक्रेता वहां स्थापित किया जाएगा जिसे मूल लाइसेंसधारी के जोखिम और लागत पर नीलाम किया जाएगा और ऐसी नीलामी के परिणामस्वरूप होने वाली कोई भी हानि उससे वसूली योग्य होगी।

(4) कलेक्टर नीलामी की तारीख और स्थान की समय पर सूचना देगा।

(5) नीलामी शुरू होने से पहले, पीठासीन अधिकारी उन शर्तों को पढ़ेगा जिनके अधीन नीलामी है।

(25) जिस व्यक्ति को शराब की दुकान बेची गई है, उसे देशी शराब और विदेशी शराब दोनों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क (बोली राशि) के 16-2/3% के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी। उसे अपनी वार्षिक लाइसेंस फीस की कुल राशि का 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि नकद में भुगतान करना होगा और शेष राशि 11-2/3% 10 दिनों की अवधि के भीतर देनी होगी। नीलामी की तारीख या 31 मार्च से पहले, जो भी पहले हो। प्रतिभूति की पूरी राशि या उसका नब्बे प्रतिशत, जैसा कि वित्तीय आयुक्त द्वारा उचित समझा जाए, उसके द्वारा देय लाइसेंस शुल्क की अंतिम किस्तों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, जब तक कि वह या उसका कोई हिस्सा जब्त न किया गया हो या शुल्क या जुर्माने की किसी भी राशि के विरुद्ध समायोजित न किया गया हो। उसके लाइसेंस के संबंध में उससे देय। इसके अलावा, देशी शराब के लाइसेंस के लिए सफल बोली लगाने वाले को बोली राशि में 15% से अधिक लेकिन कम होने की स्थिति में पूरी बोली राशि के 2.5% के बराबर अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। संपूर्ण बोली राशि के 20% और अन्य 2.5% के बराबर, यदि बोली राशि में वृद्धि विक्रेता/विक्रेताओं के समूह के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य से 20% और 25% के बीच है। नीलामी की जाने वाली दुकानों के समूह के क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों के संबंध में आरक्षित मूल्य पिछले वर्ष के लाइसेंस शुल्क के आधार पर तय किया जाएगा।

जमा की गई बोली राशि के 1/3 सहित अतिरिक्त प्रतिभूति की पूरी राशि लाइसेंस शुल्क की अंतिम किस्तों के लिए समायोज्य होगी।

प्रतिभूति की राशि या उसका कोई भाग जब्त या समायोजित किए जाने की स्थिति में, ऐसी घटना होने के सात दिनों के भीतर लाइसेंसधारी द्वारा कमी को पूरा किया जाएगा, ऐसा न करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

प्रतिभूति की नब्बे प्रतिशत राशि के समायोजन के मामले में, प्रतिभूति की शेष दस प्रतिशत राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सरकार को देय किसी भी प्रकार के बकाया की कटौती के बाद लाइसेंसधारी को वापस कर दी जाएगी।

(26) जिस व्यक्ति को शराब की दुकान बेची गई है, उसे उस महीने की 15 तारीख तक भुगतान करना होगा जिसमें वह अपने लाइसेंस के तहत व्यवसाय शुरू करता है और प्रत्येक बाद के महीने की 15 तारीख तक, कुल वार्षिक के ग्यारहवें हिस्से के बराबर किस्त का भुगतान करेगा। संपूर्ण लाइसेंस शुल्क वसूल होने तक लाइसेंस शुल्क। जिले के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त लाइसेंसधारी को उस महीने के अंतिम दिन तक किस्त की राशि या उसके हिस्से को जमा करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं, जिसके लिए किश्त देय है, इस शर्त पर कि लाइसेंसधारी प्रति वर्ष अठारह प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। महीने के बीसवें दिन से नियत तिथि के बाद जमा की गई किस्त या उसके किसी हिस्से के भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए वार्षिक। भुगतान की तारीख उस अवधि में शामिल की जाएगी जिसके लिए ब्याज लिया जाना है। यदि महीने के अंत तक ब्याज सहित किस्त या उसके

किसी हिस्से का भुगतान नहीं किया जाता है, तो दुकान बंद होने के अलावा, पूरे महीने के लिए ब्याज लिया जाएगा।

नियत तारीख तक, जैसा भी मामला हो, किस्त या ब्याज सहित किश्त का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, विक्रेता अगले महीने के पहले दिन काम करना बंद कर देगा और सामान्य रूप से उप आबकारी और कराधान आयुक्त या जिले के जिला आबकारी और कराधान अधिकारी प्रभारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी और उसके लाइसेंस द्वारा सील कर दिया जाएगा।

(27) यदि कोई व्यक्ति जिसकी बोली नीलामी में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई है, कुल लाइसेंस शुल्क के 16-2/3% के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करने में विफल रहता है या लाइसेंस स्वीकार करने से इनकार करता है, तो कलेक्टर या कोई अधिकारी इस संबंध में वित्तीय आयुक्त द्वारा लाइसेंस द्वारा अधिकृत उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के पद से नीचे का नहीं, सार्वजनिक नीलामी द्वारा इसे फिर से बेच सकता है और लाइसेंस शुल्क में कोई भी कमी चूककर्ता बोलीदाता से भूमि राजस्व या भूमि धारण कर के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।"

(4) हम अनुबंध पी-1 के पैरा 6 को भी उद्धृत कर सकते हैं जो प्रतिभूति के माध्यम से वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 16-2/3% जमा करने की आवश्यकता से संबंधित है। इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है: -

"6(i) सफल बोली लगाने वाला देशी शराब और भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानों दोनों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क के 16-2/3% के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करें।

उसे अपनी वार्षिक लाइसेंस फीस की कुल राशि का पांच प्रतिशत (5%) के बराबर राशि नकद में भुगतान करना होगा और शेष राशि 11-2/3% दस दिनों की अवधि के भीतर देनी होगी। नीलामी की तारीख 31 मार्च 1995 या उससे पहले, जो भी पहले हो। प्रतिभूति की पूरी राशि या उसका नब्बे प्रतिशत, जैसा कि उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा उचित समझा जा सकता है, उसके द्वारा देय लाइसेंस शुल्क की अंतिम किस्तों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा जब तक कि वही या उसका कोई हिस्सा जब्त न हो या किसी भी राशि के विरुद्ध समायोजित न किया गया हो। उसके लाइसेंस के संबंध में उससे देय शुल्क या जुर्माना।

इसके अलावा, देशी शराब के लाइसेंस के लिए सफल बोली लगाने वाले को बोली राशि में 15% से अधिक लेकिन कम होने की स्थिति में पूरी बोली राशि के 2.5 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। यदि बोली राशि में वृद्धि 20% से अधिक है, लेकिन विक्रेताओं के समूह के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य से 25% से कम है, तो 20% और संपूर्ण बोली राशि का 2.5% अतिरिक्त। वर्ष 1995-96 के लिए नीलाम किये जाने वाले दुकानों के समूह के क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों के संबंध में आरक्षित मूल्य वर्ष 1994-95 के लाइसेंस शुल्क के आधार पर तय किया जाएगा। हालाँकि, 25% वृद्धि से अधिक, सट्टा बोली की जांच करने के लिए, पीठासीन अधिकारी कार्रवाई के समय कुल बोली राशि का 1/3 नकद या बैंक ड्राफ्ट में मांग सकता है। 1/3 राशि सहित

अतिरिक्त प्रतिभूति की पूरी राशि लाइसेंस शुल्क की अंतिम किश्तों के लिए समायोज्य होगी। प्रतिभूति की राशि या उसके किसी भाग को जब्त या समायोजित किए जाने की स्थिति में ऐसी घटना होने के सात दिनों के भीतर कमी को पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रतिभूति की नब्बे प्रतिशत राशि के समायोजन के मामले में, शेष दस प्रतिशत प्रतिभूति लाइसेंसधारक को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सरकार से किसी भी प्रकार के बकाया, यदि कोई हो, में कटौती करने के बाद वापस की जाएगी।

(ii) यदि कोई व्यक्ति जिसकी बोली नीलामी में स्वीकार कर ली गई है, समय पर प्रतिभूति राशि जमा करने में विफल रहता है या लाइसेंस स्वीकार करने से इंकार कर देता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा लाइसेंस को फिर से बेचा जा सकता है और कोई कमी हो सकती है लाइसेंस शुल्क में और ऐसे पुनर्विक्रय या पुनर्विक्रय प्रयास के सभी खर्च पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 60 में निर्धारित तरीके से उक्त व्यक्ति से वसूल किए जाएंगे।

(iii) लाइसेंस दिए जाने पर सफल बोली लगाने वाले को भुगतान करना होगा जिस महीने में वह अपने लाइसेंस के तहत अपना व्यवसाय शुरू करता है, उसकी 15 तारीख और उसके बाद के प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक कुल वार्षिक लाइसेंस शुल्क के 1/11 वें हिस्से के बराबर किस्त, जब तक कि पूरी लाइसेंस फीस वसूल न हो जाए।

देय तिथि तक किस्त या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, संबंधित जिले का उप आबकारी और कराधान आयुक्त लाइसेंसधारी को उस महीने के अंतिम दिन तक किस्त की राशि या उसके हिस्से को जमा करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जिसके लिए किस्त देय है, इस शर्त पर कि लाइसेंसधारी महीने की 15 तारीख से महीने के अंत तक देरी की अवधि के लिए प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करे। भुगतान की तारीख उस अवधि में शामिल की जाएगी जिसके लिए ब्याज लिया जाना है। यदि किस्त या ब्याज सहित उसके किसी भाग का भुगतान महीने के अंत तक नहीं किया जाता है, तो अगले पैरा में दिए गए अनुसार, विक्रय को बंद करने के अलावा, पूरे महीने के लिए ब्याज की वसूली की जाएगी।

यदि लाइसेंसधारी ब्याज के साथ किस्त जमा करने में विफल रहता है, जैसा कि मामला महीने के अंतिम दिन तक हो सकता है, तो विक्रेता अगले महीने के पहले दिन से काम करना बंद कर देगा। संबंधित जिले के उप आबकारी और कराधान आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी आम तौर पर उस विक्रेता को सील कर देगा जिसे सील किया गया है/नहीं किया गया है और उसे संचालित करने की अनुमति है/दी गई है, फिर उस महीने के पहले दिन से शुरू होने वाली कुल अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान की तारीख तक लाइसेंस शुल्क के बकाया पर ब्याज लिया जाएगा जिसमें शुल्क देय था। यह उन जुर्माने के प्रावधानों के अतिरिक्त होगा जो पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लाइसेंसधारक के खिलाफ लागू किए जा सकते हैं।

(iv) 50 डिग्री प्रूफ के रम और जिन सहित देशी स्पिरिट के सार्वजनिक और खुदरा विक्रेताओं को विदेशी शराब के थोक और खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस को रद्द करने की स्थिति में, कलेक्टर प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक नीलामी द्वारा इसे फिर से बेच सकते हैं। हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के नियम 36(28) में निर्धारित किया गया है और इसके अलावा वह वह तरीका निर्धारित कर सकता है जिसके तहत लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा की राशि प्राप्त की जानी है।"

(5) 1914 अधिनियम, 1970 नियमों के उपरोक्त उद्धृत प्रावधानों और लाइसेंसों की नीलामी के लिए सरकार द्वारा जारी नोटिस में शामिल शर्तों से, यह स्पष्ट है कि सरकार ने नीलामी के माध्यम से लाइसेंस देने के लिए बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। ऐसा करते समय, सरकार ने यह स्पष्ट किया कि सफल बोलीदाता के लिए देशी शराब के साथ-साथ भारतीय निर्मित विदेशी शराब की दुकानों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क के 16 ग्राम प्रतिशत के बराबर राशि अग्रिम रूप से जमा करना आवश्यक होगा।भुगतान के तरीके को अनुलग्नक पी-1 के पैरा 6 में भी दर्शाया गया है। याचिकाकर्ताओं को यह अच्छी तरह से पता था कि अगर वे बोली देते हैं और यह सबसे अधिक पाया जाता है, तो उन्हें अपने पक्ष में लाइसेंस जारी करने से पहले वार्षिक लाइसेंस शुल्क के एक हिस्से के रूप में एक निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई उच्चतम बोली के रूप में प्रस्ताव अनुलग्नक पी-1 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर सरकार को स्वीकार्य था। याचिकाकर्ताओं ने उन शर्तों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा दिखाई और उसके बाद सरकार ने उन्हें लाइसेंस प्रदान किया। इसलिए याचिकाकर्ता अनुलग्नक पी-3 में शामिल नियमों और शर्तों और लाइसेंस की शर्तों को यह तर्क देकर चुनौती नहीं दे सकते कि वे मध्यस्थता या अनुचित हैं।

(6) वार्षिक लाइसेंस शुल्क के 16-2/3 प्रतिशत के बराबर राशि, हालांकि अधिनियम के साथ-साथ नियमों और अनुलग्नक पी-1 में प्रतिभूति के रूप में वर्णित है, वास्तव में यह उस व्यक्ति द्वारा देय मूल्य है जो शराब बेचने के लिए लाइसेंस चाहता है-देशी शराब और विदेशी शराब दोनों। सरकार के पास शराब का सौदा करने का विशेषाधिकार है और इसलिए, जो शराब बेचने का लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, उसे विशेषाधिकार की खरीद के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और ऐसे व्यक्ति के लिए बाद में यह दलील देने का अधिकार नहीं है कि अनुबंध की शर्तें मनमाना या अनुचित हैं।

(7) नशीरवार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1975 SC 36 में, उनके आधिपत्य ने कृष्ण कुमार नरूला बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, AIR 1967 SC 1368 में पहले के फैसले का संदर्भ दिया, और माना कि राज्य को शराब बनाने और बेचने का अनन्य अधिकार या विशेषाधिकार था, कि उसे शराब बेचने का अधिकार या विशेषाधिकार देने के लिए एक सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने की शक्ति थी, कि पारंपरिक रूप से मादक शराब राज्य एकाधिकार का विषय था और शराब में व्यापार या व्यवसाय करने के लिए एक नागरिक में कोई मौलिक अधिकार नहीं था।

(8) हर शंकर बनाम उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, एआईआर 1975 एससी 1121 में, एक संविधान पीठ ने मामले के कानून की समीक्षा की और फिर कहा: -

"हमारी राय में, नशीले पदार्थों में लेनदेन को नियंत्रित करने वाली सही स्थिति वही है जो संविधान में बताई और प्रतिबिंबित की गई है। बलसारा का मामला, 1951 एससीआर 682: (एआईआर 1951 एससी 318), कूवर्जी का मामला, 1954 एससीआर 873: (एआईआर 1954 एससी 220); किदवई का मामला, 1957 एससीआर 295: (एआईआर 1957 एससी 414); नागेंद्र नाथ का इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले मामला, 1958 एससीआर 1240: (एआईआर 1958 एससी 398); अमर चक्रवर्ती का मामला (1973) 1 एससीआर 533: (एआईआर 1972 एससी 1863) और आरएमडीसी का मामला 1957 एससीआर 874: (एआईआर 1957 एससी 699) जैसा कि हरिनारायण जयसवाल में व्याख्या की गई है। मामला (1972) 3 एससीआर 784: (एआईआर 1972 एससी 1816) और नशीरवार का मामला, एआईआर 1975 एससी 360, नशीले पदार्थों का व्यापार या व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य को अपनी नियामक शक्तियों के तहत मादक पदार्थों के संबंध में हर प्रकार की गतिविधि को प्रतिबंधित करने का अधिकार है-इसका निर्माण, भंडारण, निर्यात, आयात, बिक्री और कब्जा। उनकी सभी अभिव्यक्तियों में, ये अधिकार राज्य में निहित हैं और वास्तव में इस तरह के निहित किए बिना वह मादक पदार्थों के संबंध में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का कोई प्रभावी विनियमन नहीं कर सकता है।"

इसी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि सरकार की अपने अधिकार से अलग होने के लिए कीमत वसूलने की शक्ति मामले का सार है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1914 के अधिनियम की धारा 27,34 और 59 का निर्देश करते हुए कहाः -

"अधिनियम की धारा 27 सरकार को नशीले पदार्थों के निर्माण, आपूर्ति या बिक्री के अधिकार का पट्टा देने के अधिकार को मान्यता देती है। धारा 34 अधिनियम की धारा 59(डी) के साथ पठित वित्तीय आयुक्त को यह निर्देश देने का अधिकार देता है कि अधिनियम के तहत लाइसेंस, परमिट या पास ऐसी फीस के भुगतान पर और ऐसे प्रतिबंधों के अधीन और ऐसी शर्तों पर दिया जाए जो वह निर्धारित कर सकते हैं। योजना, यह सार नहीं है कि क्या लाइसेंसधारियों से ली जाने वाली राशि उत्तरी भारत कैटरर्स और ग्रीन होटल की अपीलों के अनुसार पूर्व-निर्धारित है या क्या इसे उन अधिकारों को प्रदान करने के लिए आयोजित नीलामी में पेश की गई बोलियों द्वारा निर्धारित किया जाना बाकी है। लाइसेंसधारी। अपने अधिकारों से अलग होने के लिए कीमत वसूलने की सरकार की शक्ति, न कि उस कीमत को तय करने का तरीका ही इस मामले का सार है। न ही वास्तव में कीमत पर चिपकाया गया लेबल सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क की वास्तविक प्रकृति या इसे लगाने के उसके अधिकार को निर्धारित करता है।"

(9) सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को भी खारिज कर दिया कि लाइसेंस शुल्क एक कर या शुल्क है जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है वाणिज्यिक लेन-देन की शब्दावली और यह माना जाता है: -

"संविधान 'कर' और 'शुल्क' के बीच विधायी उद्देश्य के लिए जो अंतर करता है और इन दोनों की विशेषताओं के साथ-साथ 'उत्पाद शुल्क' भी सर्वविदित है। "कर कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धन की एक अनिवार्य वसूली है और प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान नहीं है।" मैथ्यूज बनाम चिकोरी मार्केटिंग बोर्ड में प्रति लैथम, सी.जे., 60 सीएलआर 263, 276। एक शुल्क है कुछ सरकारी एजेंसी द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की गई विशेष सेवाओं के लिए शुल्क और इस तरह के शुल्क में बदले की भावना का एक तत्व होता है। कॉमरेड एच.आर.ई. मद्रास बनाम लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीदार, 1954 एससीआर 1005, 1041: (एआईआर 1954 एससी 282 एट पी) 295) उत्पाद शुल्क मुख्य रूप से देश के भीतर उत्पादित या विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण पर एक शुल्क है। मेसर्स गुरुस्वामी एंड कंपनी बनाम मैसूर राज्य, (1967) 1 एससीआर 548: (एआईआर 1967 एससी 1512) वर्तमान मामले में लाइसेंसधारियों से ली गई राशि, जाहिर है, न तो कर की प्रकृति में है और न ही उत्पाद शुल्क की। लेकिन फिर, 'लाइसेंस शुल्क' जो राज्य सरकार ने नीलामी के माध्यम से लाइसेंसधारियों से वसूला है या फॉर्म एल-3, एल-4 और एल-5 में लाइसेंस रखने वाले विदेशी शराब के विक्रेताओं से जो 'निश्चित शुल्क' लिया जाता है, उसका लाइसेंसधारियों को प्रदान की गई सेवाओं के बदले में कोई लेना-देना नहीं है। अभिव्यक्ति के तकनीकी अर्थ में 'शुल्क' शब्द का प्रयोग अधिनियम या नियमों में नहीं किया गया है। 'लाइसेंस शुल्क' या 'निश्चित शुल्क' से तात्पर्य उस कीमत या प्रतिफल से है जो सरकार लाइसेंसधारियों से अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने और उन्हें लाइसेंसधारियों को देने के लिए वसूलती है। चूंकि राज्य कोई व्यापार या कारोबार कर सकता है, इसलिए इस तरह का शुल्क किसी व्यापारिक या व्यावसायिक लेनदेन की सामान्य घटना है।"

(जोर दिया गया)

(10) इसी मुद्दे पर हाल ही में मेसर्स खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम राज्य मामले में फिर से विचार किया गया है। कर्नाटक और अन्य, 1995(1) आर.आर.आर. 209: जेटी 1994(6) एससी 588। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फिर से उन विभिन्न निर्णयों की विस्तृत समीक्षा की, जिन पर हर शंकर के मामले (सुप्रा) के साथ-साथ चर्चा की गई है। लखनलाल बनाम उड़ीसा राज्य, (1977) 1 एससीआर 811; सतपाल एंड कंपनी बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल, (1979)3 एससीआर 651; दक्षिणी पेट्रोलियम और रसायन बनाम केरल राज्य, (1981) में बाद के फैसले)4 एससीसी 391; मध्य प्रदेश राज्य बनाम नंद लाल जयसवाल, (1986) 4 एससीसी 566; डूंगाजी एंड कंपनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1991 एससी 1947; सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम राज्य उत्तर प्रदेश, (1990))1 एससीसी 109; और इस विषय पर सिद्धांतों को हटा दिया। फैसले के पैरा 73 में, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत संख्या (ए) से (एम) का सारांश दिया है। सिद्धांत संख्या (बी), (सी), (ई), (एच) और (जे) नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

"(बी) किसी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने का अधिकार किसी पेशे का अभ्यास करने या व्यवसाय, व्यापार करने तक विस्तारित नहीं है या ऐसा व्यवसाय जो स्वाभाविक रूप से दुष्ट और हानिकारक है, और सभी सभ्य समाजों द्वारा इसकी निंदा की जाती है। यह नागरिकों को उन गतिविधियों में व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार नहीं देता है जो अनैतिक और आपराधिक हैं और उन लेखों या वस्तुओं में जो आम जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए अप्रिय और हानिकारक हैं, यानी अतिरिक्त वाणिज्यिक (वाणिज्य के बाहर)। अपराध में व्यापार नहीं हो सकता।

(सी) पेय के रूप में पीने योग्य शराब एक नशीला और अवसादकारी पेय है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और हानिकारक है और इसलिए, एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाभाविक रूप से हानिकारक है। इसलिए, किसी नागरिक को शराब का व्यापार या व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अत: शराब के व्यापार या व्यवसाय पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

XX XX XX XX XX XX

(ई) इसी कारण से, राज्य या तो अपने आप में या उसके द्वारा बनाई गई एजेंसी में एक पेय के रूप में the.liquor के निर्माण, कब्जे, बिक्री और वितरण के लिए एकाधिकार बना सकता है और नागरिकों को लाइसेंस भी बेच सकता है। यह अनुच्छेद 19 (6) के तहत या अन्यथा भी किया जा सकता है।

XX XX XX XX XX

(ज) राज्य अपने राजस्व को अधिकतम करने की दृष्टि से व्यापार या व्यवसाय के लिए लाइसेंस बेचने का कोई भी तरीका अपना सकता है, जब तक कि अपनाई गई विधि भेदभावपूर्ण न हो।

XX XX XX XX XX

(जे) केवल यह तथ्य कि राज्य पीने योग्य शराब से प्राप्त उत्पादन, बिक्री और आय पर कर या शुल्क लगाता है, चाहे उत्पादन, बिक्री या आय वैध हो या अवैध, राज्य को उक्त गतिविधियों में एक पक्ष नहीं बनाता है। करों और शुल्कों को लगाकर राजस्व बढ़ाने की राज्य की शक्ति को व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित या विनियमित करने की राज्य की शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य ऐसे अवसरों पर अपनी दो अलग-अलग शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए केवल यह तथ्य कि राज्य शराब के व्यापार या व्यवसाय या उससे प्राप्त आय पर कर और शुल्क लगाता है, शराब के व्यापार या व्यवसाय को करने के अधिकार को मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार भी नहीं बनाता है, जब ऐसा व्यापार या व्यवसाय पूरी तरह से निषिद्ध है।"

(11) इसलिए, अब यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि शराब के व्यवसाय से संबंधित मामलों में राज्य के पास विशेष विशेषाधिकार है और यह राज्य ही है जो किसी नागरिक को शराब के विषय में व्यापार करने की अनुमति दे सकता है। निर्दिष्ट सीमा तक। यह राज्य के लिए अधिकतम राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से व्यापार या व्यवसाय के लिए लाइसेंस बेचने का कोई भी तरीका अपनाने के लिए खुला है और उसके पास उसी के व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित या विनियमित करने की शक्ति भी है। और केवल यह तथ्य कि राज्य शराब के व्यापार या व्यवसाय पर कर और शुल्क लेता है, इसे शराब का व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार नहीं बनाता है और राज्य पूर्ण शराबबंदी लागू कर सकता है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि उच्चतम बोली लगाने वाले को लाइसेंस शुल्क का एक हिस्सा अग्रिम रूप से जमा करने के लिए कहकर लाइसेंस देने की विधि किसी अंतर्निहित दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, याचिकाकर्ता दावा नहीं कर सकते हैं कि राज्य ने लाइसेंस शुल्क के लिए अग्रिम के रूप में नकद सुरक्षा की मांग करके मनमाना काम किया है। हमारी यह भी सुविचारित राय है कि ऐसे संविदात्मक मामलों में जहां याचिकाकर्ताओं ने सरकार से शराब का व्यापार करने का अधिकार खरीदा है, वे अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से किसी भी मनमानी की शिकायत करने के हकदार नहीं हैं और इसका कोई कारण नहीं है। जो भी हो, इस न्यायालय को याचिकाकर्ताओं को

शराब की कीमत का एक हिस्सा अग्रिम रूप से जमा करने के बोझ से राहत देने के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए।

(12) अब हम याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क से निपटेंगे कि याचिकाकर्ता ब्याज के हकदार हैं क्योंकि सरकार उनके पैसे को ट्रस्ट में रखती है और उनकी ओर से डिफ़ॉल्ट के मामले में, सरकार 18 की दर से ब्याज वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखती है। दंडात्मक उपाय करने के अलावा प्रति वर्ष %। हम विद्वान वकील के इस तर्क से भी निपटेंगे कि याचिकाकर्ता ब्याज अधिनियम, 1978 या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान करने के हकदार हैं। सिद्धांत पर ब्याज देने के लिए विद्वान वकील के वैकल्पिक तर्क अन्य तर्कों के साथ समानता की भी जांच की जानी चाहिए। हम तर्क की इस शाखा पर इस बात को दोहराते हुए विचार शुरू करेंगे कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सुरक्षा के रूप में जमा की गई राशि वास्तव में याचिकाकर्ताओं द्वारा उस अनुबंध के एक हिस्से के रूप में भुगतान की गई अग्रिम कीमत है जो उन्होंने सरकारों के साथ किया था। वर्ष 1995-96 के दौरान शराब बेचने की अनुमति दी गई। अग्रिम धनराशि को सुरक्षा बताना एक मिथ्या नाम है। वास्तव में, सरकार वैध रूप से अग्रिम रूप से पूरी कीमत की मांग कर सकती थी और यह याचिकाकर्ताओं के लिए खुला होता कि वे लाइसेंस देने के लिए अपनी बोली न दें। जहां तक अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का सवाल है, उनमें याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुलग्नक पी-1 और लाइसेंस की शर्तों में भी ऐसी कोई शर्त नहीं है। ऐसी शर्त के अभाव में, याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकते कि वे 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की राशि के हकदार हैं, केवल इसलिए कि जब भी वे किश्तों के भुगतान में चूक करते हैं तो सरकार उस दर पर ब्याज वसूलने की हकदार है। वास्तव में, किश्तों के भुगतान में चूक की स्थिति में याचिकाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता वाले प्रावधान को शामिल करना और याचिकाकर्ताओं को ब्याज के भुगतान के लिए ऐसे प्रावधान की अनुपस्थिति से पता चलता है कि सरकार ने पहले भी याचिकाकर्ताओं को यह स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने अपनी बोली में कहा कि अग्रिम लाइसेंस शुल्क की राशि पर उन्हें कोई ब्याज देय नहीं होगा, हालांकि किश्तें जमा न करने की स्थिति में उन्हें ब्याज देना होगा।

(13) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का अध्याय VI भुगतान और ब्याज से संबंधित है। धारा 78 कहती है कि भुगतान लिखत के धारक को किया जाना है। धारा 79 दर निर्दिष्ट होने पर ब्याज के भुगतान से संबंधित है। धारा 80 ब्याज के भुगतान से संबंधित है जब कोई दर निर्दिष्ट नहीं है। इन तीन खंडों को तत्काल संदर्भ के लिए पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"78. जिसे उसे भुगतान करना चाहिए:-धारा 82, खंड (ग) के प्रावधानों के अधीन, वचन पत्र पर देय राशि का भुगतान, चेक के विनिमय का बिल, निर्माता या स्वीकारकर्ता को निर्वहन करने के लिए, लिखत के धारक को किया जाना चाहिए।

79. ब्याज जब दर विनिर्दिष्ट है:-जब किसी विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज को वचन पत्र या विनिमय पत्र पर स्पष्ट रूप से देय किया जाता है, तो ब्याज की गणना मूल राशि की राशि पर विनिर्दिष्ट दर पर, लिखत, इकाई निविदा या ऐसी राशि की प्राप्ति की तारीख से, या ऐसी राशि की वसूली के लिए वाद की स्थापना के बाद की तारीख तक की जाएगी, जैसा कि न्यायालय निर्देश देता है।

80. ब्याज जब कोई दर विनिर्दिष्ट न हो-जब लिखत में ब्याज की कोई दर विनिर्दिष्ट न हो तो उस पर देय राशि पर ब्याज की गणना, लिखतों के किसी पक्षकार के बीच ब्याज से संबंधित किसी करार के होते हुए भी, उस तारीख से, जिसको प्रभारित पक्षकार द्वारा उसका भुगतान किया जाना चाहिए था, अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, उस पर देय राशि की निविदा या प्राप्ति तक, या ऐसी राशि की वसूली के लिए वाद की स्थापना के पश्चात् ऐसी तारीख तक की जाएगी, जो न्यायालय का निर्देश है।
स्पष्टीकरण:—जब पक्ष/आरोपी भुगतान न करने के कारण अस्वीकृत हुए किसी लिखत का पृष्ठांकित होता है, तो वह केवल उसी समय से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है, जब से उसे अस्वीकृत की सूचना प्राप्त होती है।"

(14) उपरोक्त उद्धृत प्रावधानों पर बारीकी से नजर डालने से पता चलता है उनमें से उपकरण, वचन पत्र और विनिमय बिल से संबंधित हैं, और वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक में निर्दिष्ट राशि पर निर्दिष्ट दर पर या 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है। इनमें से कोई भी प्रावधान भुगतान से संबंधित नहीं है ऐसे मामले में ब्याज जहां किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया है और उसे लाइसेंस देने के लिए अनुबंध के एक हिस्से के रूप में अग्रिम धन का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए, हम मानते हैं कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के आधार पर, याचिकाकर्ता ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं हैं।

15) ब्याज अधिनियम, 1978 के प्रावधानों पर आते हुए, हम उस अधिनियम की धारा 2 (ग) 3 और 4 का उल्लेख कर सकते हैं। ये प्रावधान भी तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं: -

"2 (ग)" "ऋण" "से किसी निश्चित राशि के लिए कोई दायित्व अभिप्रेत है और इसमें किसी प्रकार का देय ऋण शामिल है, लेकिन इसमें निर्णय ऋण शामिल नहीं है;

XX XX XX XX XX

3. ब्याज की अनुज्ञा देने की न्यायालय की शक्तिः-(1) किसी ऋण या हर्जाने की वसूली के लिए किसी कार्यवाही में या किसी कार्यवाही में जिसमें किसी ऋण या पहले से भुगतान किए गए हर्जाने के संबंध में ब्याज का दावा किया गया है, न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो ऋण या हर्जाने का हकदार व्यक्ति को या ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, ब्याज की वर्तमान दर से अधिक नहीं होने वाली दर पर, पूरी अवधि के लिए या निम्नलिखित अवधि के भाग के लिए, अर्थात्: -

(ए) यदि कार्यवाही एक निश्चित समय पर लिखित दस्तावेज के आधार पर ऋण से संबंधित है, तो, उस तारीख से जब ऋण देय है, संस्था की तारीख तक कार्यवाही ;

(बी) यदि कार्यवाही ऐसे किसी ऋण से संबंधित नहीं है, तो इस संबंध में हकदार व्यक्ति द्वारा दिए गए लिखित नोटिस में उल्लिखित तिथि से या उत्तरदायी व्यक्ति को दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा ब्याज का दावा किया जाएगा, उस तिथि तक कार्यवाही की संस्था का;

बशर्ते कि जहां ऋण या क्षति की राशि कार्यवाही शुरू होने से पहले चुका दी गई हो, ऐसे पुनर्भुगतान के बाद की अवधि के लिए इस धारा के तहत ब्याज की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) जहां, ऐसी किसी कार्यवाही में जो उपधारा (1) में उल्लिखित है -

(ए) निर्णय, आदेश या पुरस्कार ऐसी राशि के लिए दिया जाता है, जो क्षति पर ब्याज के अलावा, चार हजार रुपये से अधिक है, और

(बी) राशि वादी या किसी अन्य व्यक्ति को व्यक्तिगत चोटों के संबंध में या किसी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में क्षति का प्रतिनिधित्व करती है या इसमें शामिल है, तो, उस उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया जाएगा ताकि उस राशि में उन पर ब्याज शामिल किया जा सके नोटिस में उल्लिखित तारीख से लेकर कार्यवाही शुरू होने की तारीख तक की पूरी अवधि या उसके कुछ हिस्से के लिए अदालत द्वारा उचित समझे जाने वाले नुकसान या उसके किसी हिस्से पर, जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि विशेष कारण हैं कि क्यों कोई ब्याज नहीं देना चाहिए उस क्षति के संबंध में दिया जाए।

(3) इस धारा में कुछ भी नहीं, -

(ए) के संबंध में लागू होगा-

(i) कोई ऋण या हर्जाना जिस पर ब्याज किसी समझौते के आधार पर, अधिकार के रूप में देय है; या

(ii) कोई ऋण या हर्जाना जिस पर एक स्पष्ट समझौते के आधार पर ब्याज का भुगतान वर्जित है;

(ख) यह प्रभावित करेगा-

(i) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में परिभाषित विनिमय पत्र, वचन पत्र या चेक के अनादर के लिए वसूली योग्य मुआवजा; या

(ii) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश II के नियम 2 के प्रावधान;

(ग) न्यायालय को ब्याज पर ब्याज देने का अधिकार देगा।

4. कुछ अधिनियमों के तहत देय ब्याज:- (1) धारा 3 में निहित किसी भी बात के बावजूद, ब्याज उन सभी मामलों में देय होगा जिनमें यह किसी अधिनियम या कानून के अन्य नियम या कानून के बल वाले उपयोग के आधार पर देय है।

(2) उपरोक्त के बावजूद, और उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय, निम्नलिखित प्रत्येक मामले में, नीचे निर्दिष्ट तिथि से कार्यवाही शुरू होने की तिथि तक ब्याज की अनुमति देगा। ऐसी दर पर जिसे न्यायालय उचित समझे, जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो कि विशेष कारण हैं कि ब्याज की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए, अर्थात् -

(ए) जहां धन या अन्य संपत्ति को लगाए गए दायित्व के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के रूप में जमा किया गया है जमा की तारीख से कानून या अनुबंध;

(बी) जहां कार्रवाई के कारण की तारीख से धन का भुगतान करने या किसी संपत्ति को बहाल करने की बाध्यता प्रत्ययी रिश्ते के आधार पर उत्पन्न होती है;
(सी) जहां कार्रवाई के कारण की तारीख से धन या अन्य संपत्ति धोखाधड़ी से प्राप्त की जाती है या रखी जाती है;
(डी) जहां दावा मेहर या भरण-पोषण के लिए है, कार्रवाई के कारण की तारीख से।"

(16) धारा 3 हर्जाने के किसी भी ऋण की वसूली के लिए ब्याज की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। धारा 4 उन सभी मामलों में ब्याज के भुगतान से संबंधित है जहां यह किसी समझौते या कानून के अन्य नियम या कानून के बल वाले उपयोग के आधार पर देय है। धारा 4 (2) न्यायालय को नीचे निर्दिष्ट तिथि से कार्यवाही की स्थापना की तिथि तक ऐसी दर पर ब्याज की अनुमति देने का अधिकार देती है जिसे न्यायालय उचित समझे। न्यायालय ब्याज के अधिनिर्णय को भी अस्वीकार कर सकता है जहां धन या संपत्ति को जमा की तारीख से कानून या अनुबंध द्वारा लगाए गए दायित्व के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा किया गया है।

(17) याचिकाकर्ता चाहते हैं कि हम यह मान लें कि उनके द्वारा जमा की गई राशि कानून या अनुबंध द्वारा लगाए गए दायित्व के निष्पादन के लिए एक प्रतिभूति थी। हालांकि, वे यह दिखाने में विफल रहे हैं कि उनके द्वारा जमा की गई राशि को कानून या अनुबंध द्वारा लगाए गए दायित्व के प्रदर्शन के लिए प्रतिभूति के रूप में कैसे माना जा सकता है। यह राशि, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल उस कीमत का एक हिस्सा थी जिसे याचिकाकर्ताओं को शराब बेचने के अधिकार की खरीद के लिए भुगतान करने की आवश्यकता थी। यह लाइसेंस शुल्क के लिए एक अग्रिम भुगतान था जिसे वर्ष के अंत में समायोजित किया जाना था। इसलिए, न तो धारा 3 के तहत और न ही 1978 अधिनियम की धारा 4 के तहत, याचिकाकर्ता सरकार से ब्याज का दावा कर सकते हैं।

(18) इस संबंध में फेरो अलॉयज कॉर्प्स लिमिटेड बनाम ए.पी. राज्य विद्युत बोर्ड, जे टी 1993(3) एस.सी. 82 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ लेना उपयोगी होगा।। यह एक ऐसा मामला था जिसमें बिजली के विभिन्न उपभोक्ताओं ने शर्तों के अनुसार उनके द्वारा जमा की जाने वाली आवश्यक नकद सुरक्षा पर ब्याज देने का दावा किया था। आपूर्ति। यह मानते हुए कि सुरक्षा का उद्देश्य बिलों का उचित भुगतान सुनिश्चित करना था, उनके आधिपत्य ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि 1978 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, याचिकाकर्ता ब्याज का भुगतान करने के हकदार थे। ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 4 का संदर्भ देने के बाद, उनके आधिपत्य ने कहा:-
“ यह धारा ऐसे मामले में लागू नहीं होती है जहां संविदात्मक अवधि या वैधानिक प्रावधान के कारण ब्याज के भुगतान की अनुमति नहीं है।"
उच्चतम न्यायालय ने आगे कहाः -

“ इंटरेस्ट एक्ट की धारा 4(2) को ध्यान से पढ़ने पर पता चलेगा कि यह केवल धारा 4(1) में उल्लिखित मामलों की श्रेणी को बढ़ाता है। अन्यथा भी, यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि धारा 4(2) वैधानिक प्रावधानों या पार्टियों के बीच एक अनुबंध को खत्म कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं, धारा 4(2) में एक गैर-अप्रत्याशित खंड शामिल है। लेकिन ऐसा खंड ब्याज अधिनियम के प्रावधानों तक ही सीमित है और अन्य कानूनों या पार्टियों के बीच अनुबंध तक विस्तारित नहीं हो सकता है। "

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा:-

"जमा की गई राशि को सावधि जमा के बराबर नहीं किया जा सकता है।"

सर्वोच्च न्यायालय ने इक्विटी या सामान्य कानून में अधिनिर्णय या ब्याज के दावे पर भी विचार किया। इस तर्क को खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः -

"सटीक रूप से," ब्याज "शब्द केवल दो मामलों पर लागू होगा जहां देनदार और लेनदार का संबंध है। एक ऋणदाता जो उधारकर्ता को कुछ निधियों का उपयोग करने की अनुमति देता है, वह उन निधियों के उपयोग से खुद को वंचित करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह ब्याज लेता है जिसे धन के उपयोग के लिए एक प्रकार का किराया कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक बैंक या एक ऋणदाता ब्याज के भुगतान पर पैसे उधार देता है। इस मामले में, देनदार और लेनदार का कोई संबंध नहीं है।"

उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि क्योंकि बोर्ड विलंबित भुगतान पर ब्याज लेता है, इसलिए वे भी ब्याज देने के हकदार हैं। ऐसा करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः -

"यह बोर्ड है जो ऋण पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए क्योंकि उपभोक्ताओं को ऋण सुविधा का आनंद मिलता है जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है। हम उपभोक्ताओं की ओर से दिए गए इस तर्क को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि क्योंकि विद्युत बोर्ड विलंबित भुगतान पर ब्याज लेते हैं, इसलिए प्रतिभूति जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। विलंबित भुगतान पर ब्याज दंड के रूप में होता है। इसका कोई मतलब नहीं है। "

(जोर दिया गया)

(19) उस निर्णय का अनुपात इन मामलों पर उचित रूप से लागू किया जा सकता है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सफल बोलीदाता द्वारा अग्रिम धनराशि के रूप में जमा की जाने वाली आवश्यक राशि लाइसेंस शुल्क की किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। सरकार ने अपने अनुभव से महसूस किया है कि लाइसेंसधारी नीलामी और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हैं और सार्वजनिक राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, किश्तों का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने और साथ ही सार्वजनिक राजस्व को सुरक्षित करने के लिए, सरकार ने सफल बोली लगाने वाले के लिए अग्रिम धन जमा करना अनिवार्य कर दिया है। अनुलग्नक पी-1 के पैरा 6 में निहित जब्ती खंड, निर्धारित समय के भीतर किस्तों का भुगतान नहीं करने के लाइसेंसधारियों द्वारा अपनाई

जाने वाली अनैतिक प्रथाओं के खिलाफ सार्वजनिक राजस्व की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। ऐसे मामले में, लाइसेंसधारी द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि का उपयोग सरकार द्वारा सार्वजनिक राजस्व को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है। ठीक इसी कारण से, लाइसेंसधारी को सात दिनों के भीतर नकद सुरक्षा की राशि चुकानी होगी और ऐसा करने में विफल रहने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अग्रिम धनराशि का भुगतान लाइसेंसधारियों द्वारा किसी कानूनी दायित्व या अनुबंध के हिस्से के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। इसलिए, वे किसी ब्याज का दावा नहीं कर सकते। किस्तों के भुगतान में चूक की स्थिति में लाइसेंसधारियों से ब्याज वसूलने के सरकार के अधिकार को लाइसेंसधारियों द्वारा जमा किए गए धन पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार पर तदनुरूपी दायित्व थोपने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

(20) हम इस मामले को दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। लाइसेंसधारी जो धन नकद सुरक्षा के रूप में सरकार के पास जमा करता है वह वास्तव में सार्वजनिक राजस्व का एक हिस्सा है। यह उस कीमत का एक हिस्सा है जो एक लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सरकार को भुगतान करता है। इसलिए, यह अत्यधिक असंगत होगा यदि सरकार को उस राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा जो सरकार में निहित शराब बेचने के विशेषाधिकार की कीमत का एक हिस्सा है और जिसे लाइसेंसधारी सरकार से खरीदता है। हमारी सुविचारित राय में, सरकार को अपने स्वयं के पैसे पर ब्याज का भुगतान करने के लिए केवल इसलिए नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसे अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों या नीलामी की शर्तों के तहत सुरक्षा के रूप में वर्णित किया गया है।

(21) उपर्युक्त चर्चा के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जाता है किः-

(i) याचिकाकर्ताओं को शराब का व्यापार या व्यवसाय करने का कोई कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है और सरकार के पास खुद या लाइसेंसधारी के माध्यम से शराब बेचने का विशेष विशेषाधिकार है;
(ii) जिन याचिकाकर्ताओं ने नीलामी की शर्तों को स्वीकार कर लिया है और जिन्होंने नीलामी के नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से जानते हुए नकद प्रतिभूति (अग्रिम राशि) के रूप में राशि जमा की है, उन्हें उन शर्तों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है;
(iii) प्रतिभूति के रूप में जमा की जाने वाली आवश्यक राशि वास्तव में उस कीमत का एक हिस्सा है जो याचिकाकर्ताओं को सरकार से शराब बेचने का अधिकार खरीदने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है; और

(iv) याचिकाकर्ताओं द्वारा निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881, ब्याज अधिनियम, 1978, या सामान्य कानून या इक्विटी के प्रावधानों के तहत जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है।

(22) ऊपर वर्णित कारणों से, रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1995 की सिविल रिट याचिका संख्या 18432,1853 और 18854 में याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों के आधार पर अंतिम किस्त की राशि का आधा भुगतान नहीं किया, हम उन्हें प्रत्येक प्रतिवादी को 5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) की लागत का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा